

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

वादी

प्रतिवादीगण

रमेश

बनाम

मोती देवी व अन्य

संख्या 210/24

2024/446(O.N)

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

आज्ञा पाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

4 वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री धारा सिंह गुर्जर द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि0 नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 09/12/2024 को पेश हो।

1212

24.11.24


उपखण्ड अधिकारी
बस्सी

11/12/24

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे /
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य
नहीं जा सकी। पत्रावली दिनांक
30/12/24 को पेश हो

30/12

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे /
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य
नहीं जा सकी। पत्रावली दिनांक
5.2.25 को पेश हो

5/2/25


पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे /
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य
नहीं जा सकी। पत्रावली दिनांक
7/3/25 को पेश हो

7/3/25

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे /
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य
नहीं जा सकी। पत्रावली दिनांक
16/4/25 को पेश हो

6/11/2024

पत्रावली पेश। वक़ुलम अनुपासीत।
तीन बार आपाजत प्रवर्तनी गरी
कर उपखण्ड नही। इत दावा
वही इत परकी इत एतनी
त एतनी उत एतनी
पत्रावली तबत त कत एतनी
दाखिल दफ्तर हो


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर